न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 140/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. धर्मवीर पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी बालोर तहसील बहादुरगढ जिला झज्जर प्रांत हरियाणा

:---- अपीलांट

बनाम

1 बदलूराम पुत्र बहराम जाति अहीर निवासी फोलादपुर तह0 नीमराना जिला अलवर ।

2 गूगन प्रसाद सिंघल पुत्र नेमीचन्द सिंघल जाति महाजन वासी धारूहेडा प्रांत हरियाणा

3 किशनलाल पुत्र हरचंद जाति अहीर निवासी शाहजहांपुर तह0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान

4 उप पंजीयक नीमराना जिला अलवर

5 लैंड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर

:---- रेस्पो0 प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, नीमराना दिनांक 14.6.2017

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री तेजसिंह चौधरी

2. वकील रेस्पो01 ला03 :– श्री चन्द्रमोहन यादव

निर्णय दिनांक 02.03.2021

---

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, नीमराना द्वारा 37/16 में पारित निर्णय दिनांक 14.6.2017 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आर0 टी0 एक्ट अंतिम तौर पर डिक्री किया गया है ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में आराजी हाल खसरा नम्बर 369 रकबा 91 एयर वाके ग्राम मोहलडिया तहसील नीमराना बाबत वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह आराजी वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ला0 4 की खरीदशुदा आराजी है । इस आराजी का बाहमी बंटवारा हो चुका है, जिसके अनुसार 1/2 भाग तरफ उत्तर का वादी को दिया गया था और दक्षिण की तरफ प्रतिवादी संख्या 01 को 1/8 भाग व प्रतिवादी संख्या 02 को 1/4 भाग व प्रतिवादी संख्या 03 को 1/8 भाग दिया गया । इसी अनुसार पक्षकारान काबिज है । परन्तु प्रतिवादीगण अब अच्छी अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं । अतः तकासमा किया जावे । उक्त वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री पारित की गई तथा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय दिनांक 14.6.2017 द्वारा अंतिम डिक्री पारित की गई है, जिससे व्यथित होकर वादी ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3. तहत अदालत ने तनकियात कायम नहीं की, जबकि जवाब दावा आ चुका था । वादी का वाद हुकमइम्तनाई दवामी के साथ मुख्यः विभाजन का था । परन्तु प्राथमिक डिक्री पारित नहीं की । जबकि विभाजन के वाद में सर्वप्रथम प्राथमिक डिक्री पारित करनी चाहिये थी । इसके बाद कुर्रेजात रिपोर्ट सभी पक्षकारान की मौजूदगी में तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट बनवाकर मंगवानी चाहिये थी । पक्षकारान की सहमति लेकर अंतिम डिक्री पारित करनी चाहिये थी । भू अभिलेख निरीक्षक मौके पर गया ही नहीं । उसने अपीलांट वादी को सूचित किये बिना ही रिपोर्ट बना दी । प्रतिवादीगण से साजबाज होकर कार्यालय में बैठकर ही रिपोर्ट बना ली । रास्ता सम्बन्धी कोई निर्णय पारित नहीं किया है । विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

4. जवाब में विद्वान वकील प्रतिवादी रेस्पो0 नम्बर 1 ला0 3 का कथन है कि वाद में दिनांक 23.5.17 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी । इसके बाद तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई गई थी, जो दिनांक 14.6.17 को तहत अदालत को प्राप्त हुई है । यह रिपोर्ट कब्जा एवं रेकार्ड अनुसार सही बनाई गई है । बाहमी बंटवारे में वादी अपीलांट के हिस्से में तरफ उत्तर का भाग आया ही नहीं है । उसके हिस्से में तरफ दक्षिण का भाग आया है । इसलिये उसी अनुसार डिक्री वाद पत्र सही तौर पर डिक्री किया गया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहत अदालत की पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि वाद में दिनांक 23.5.17 को प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को आदेशित किया गया था कि मौके एवं कब्जे तथा विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 एवं रास्ते सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुये विभाजन प्रस्ताव भिजवावें । अतः अपीलांट की यह आपत्ति खारिज की जाती है कि वाद में प्राथमिक डिक्री पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

नहीं की गई है । कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया । कुर्रेजात रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 369 के तरफ उत्तर दिशा में रकबा 45 एयर बदलूराम पुत्र बहराम अहीर का हिस्सा 1/4, गूगन प्रसाद सिंघल पुत्र नेमीचन्द सिंघल का हिस्सा 1/2, किशनलाल पुत्र हरचन्द अहीर का हिस्सा 1/4 पर कब्जा है तथा खसरा नम्बर 369/1 के तरफ दक्षिण में धर्मवीर पुत्र रामचन्द्र अहीर का रकबा 45 एयर पर कब्जा है । इसी कब्जा अनुसार नजरी नक्शा भी बनाया गया है । वादी अपीलांट का मौके पर जिस दिशा में अर्थात तरफ दक्षिण में कब्जा पाया गया है और उसी अनुसार उसे अंतिम डिक्री में आराजी दी गई है । अतः अपीलांट का यह कथन भी खारिज किया जाता है कि उसे कब्जा अनुसार अर्थात जिस दिशा में उसका कब्जा है, उसी कब्जा अनुसार उसे आराजी नहीं दी गई है । अपीलाधीन निर्णय विभाजन के नियमों के नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना करते हुये पारित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं दिनांक 14.6.2017 को यथावत रखे जाते हैं ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 140/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. धर्मवीर पुत्र रामचन्द्र जाति अहीर निवासी बालोर तहसील बहादुरगढ जिला झज्जर प्रांत हरियाणा

:---- अपीलांट

बनाम

6 बदलूराम पुत्र बहराम जाति अहीर निवासी फोलादपुर तह0 नीमराना जिला अलवर ।

7 गूगन प्रसाद सिंघल पुत्र नेमीचन्द सिंघल जाति महाजन वासी धारूहेडा प्रांत हरियाणा

8 किशनलाल पुत्र हरचंद जाति अहीर निवासी शाहजहांपुर तह0 नीमराना जिला अलवर राजस्थान

9 उप पंजीयक नीमराना जिला अलवर

10 लैंड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर

:---- रेस्पो0 प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, नीमराना दिनांक 14.6.2017

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री तेजसिंह चौधरी

2. वकील रेस्पो01 ला03 :– श्री चन्द्रमोहन यादव

पर्चा डिक्री

दिनांक 02.03.2021

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के निर्णय एवं दिनांक 14.6.2017 को यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर